भारतीयकपासनिगमलिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम /Government of India Undertaking)
शाखा कार्यालय: 158-185, डिस्ट्रिक्ट सैंटर,जवाहर नगर, श्रीगंगानगर – 335001
Tel No: 0154-2463377 / 2462843 Fax No : 0154 – 2461040
निगमित पहचान संख्याप -U51490MH1970GO1014733
Website: www.cotcorp.org.in. E-Mail: sriganganagar@cotcorp.com

क्रमांक संख्या: भाकनि/ श्री गंगानगर /प्रशासन/2023-24/ दिनांक: 11.10.2023

नीलामी सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, श्री गंगानगर अपने निम्नलिखित केन्द्र पर 5 पुराने अप्रयोगनीय त्रिपाल सामान की **"जैसे हैं जहां हैं"** के आधार पर केन्द्र के समक्ष दी गई दिनांक को बिक्री करना चाहता है। सभी इच्छुक ख़रीदारों से अनुरोध है कि वह निर्धारित समय एवं दिनांक को केंद्र पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। त्रिपालो का निरिक्षण किसी भी कार्य दिवस को केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। नीलामी में भाग लेने हेतु रु 500/- का डिमांड ड्राफ्ट जो कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर के पक्ष मे देय हो जमा करना आवश्यक है। GST की राशि का नियमानुसार भुगतान खरीदी कीमत के अतिरिक्त करना होगा।

क्रं	केंद्र का नाम	कमेटी सदस्य	मोबाइल नंबर	नीलामी स्थान दिनांक व समय
1	**रावतसर**	श्री भूपेंद्र सिंह	98966 14482	रावतसर/25.10.2023 प्रातः 10:00 बजे
2		श्री सुशील कुमार	9815600892	

महाप्रबन्धक

<u>नियम एवं शर्ते</u>

1. निगम शाखा कार्यालय श्री गंगानगर के अर्न्तगत केंद्र रावतसर पर पडे 5 पुराने अप्रयोगनीय त्रिपाल सामान की बिक्री खुली निलामी में "जहां है जैसे है के आधार पर" की जायेगी ।

2. पार्टी द्वारा रूपये 500/- की धरोहर राशि निगम के नाम निलामी शुरू कराने से पहले शाखा अथवा केन्द्र पर जमा करवानी होगी । धरोहर राशि डीडी/ई-पेमेंट के माध्यम से ही जमा की जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3. पार्टी द्वारा बोली किसी भी केंद्र अथवा सभी केन्द्रो के लिये दी जा सकती है।

4. डिलीवरी संबंधित केन्द्र के भण्डारण स्थल से " **जहां है जैसे है के आधार पर** " वास्तविक स्थिति के अनुसार पूर्ण भुगतान के पष्चात की जायेगी ।

5. 20% राशि सफल बोली दाता को 48 घंटे के अन्दर जमा करवानी होगी ।

6. पार्टी द्वारा संबंधित केन्द्र से डिलीवरी पांच दिन के अन्दर बाकी 80 प्रतिषत राशी का भुगतान कर ली जायेगी । सहित जमा करते हुए लेनी होगी अन्यथा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

8. किसी भी विवाद की स्थिति में अघोहस्ताक्षरी श्रीगगानगर का निर्णय अतिंम व मान्य होगा तथा श्रीगगांनगर न्यायालय क्षेत्र के अधीन रहेगा।

भवदीय,
कृतेःभारतीय कपास निगम लिमिटेड

महाप्रबंधक